



Neutral Citation No.- 2026:AHC:15659

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-40330 वर्ष 2025

रॉबिन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजेश पाठक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेश पाठक, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। पहले आदेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-21346 में पारित दिनांक 28.4.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।
4. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 34 भ०द०वि०, थाना-बाबूगढ़, ज़िला: हापुड़ के तहत 2021 के मुकदमा अपराध संख्या-508 में ज़मानत मांगी है।
5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति मनीष @ मिंटू को इस न्यायालय द्वारा 2023 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



55013 में पारित दिनांक 19.1.2024 के आदेश के माध्यम से जमानत पर पहले ही बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर जमानत पर भी रिहा किये जाने का हकदार है। आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामले को छोड़कर समझाया गया है, जिसमें उसने अभी तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। वह 29.11.2021 से जेल में बंद हैं। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/स्कोर/22410/2021** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

9. आवेदक- **रॉबिन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 21, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)